



रजिस्टर्ड ब्रांड की नकली पैकिंग में बेच रहे थे घटिया चावल; बड़ी मात्रा में बैग बरामद, महाराजगंज में FIR दर्ज



महाराजगंज: जिले के सिंदुरिया थाना क्षेत्र में पुलिस ने सोमवार को वैभव लक्ष्मी सॉर्टिक्स राइस मिल प्राइवेट लिमिटेड से 10,931 डुप्लीकेट अन्नपूर्ति ब्रांड के पैकिंग बैग बरामद किये. पुलिस अधीक्षक सोमेन्द्र मीना ने बताया कि यह कार्रवाई नकली ब्रांडिंग और कॉपीराइट उल्लंघन के खिलाफ विशेष अभियान के अधीन की गई.

बड़ी मात्रा में जाली पैकिंग मिली: इस दौरान पुलिस और मंडी समिति की संयुक्त टीम ने फर्म पर छापेमारी कर बड़ी मात्रा में जाली पैकिंग जब्त की. थानाध्यक्ष सिंदुरिया राजकुमार सिंह ने बताया कि छापेमारी के दौरान मण्डी निरीक्षक निचलौल महाराजगंज की टीम भी शामिल थी. मौके से अवैध पैकिंग बैग बरामद करने के बाद फर्म के खिलाफ कॉपीराइट एक्ट और ट्रेडमार्क अधिनियम 1999 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया.

बस्ती के राइस मिल मालिक ने की थी शिकायत: बस्ती की बालाजी चावल मिल्स प्राइवेट लिमिटेड के मालिक ऋषि अग्रवाल ने एसपी से शिकायत की थी. बताया था कि उनके अन्नपूर्ति नामक ब्रांड का ट्रेडमार्क नंबर 5540254 है, जिसके तहत कई वर्षों से देश और विदेश में उच्च गुणवत्ता वाला चावल बेचा जाता है. कुछ लोग इसी नाम से नकली पैकिंग बनाकर घटिया चावल बेच रहे थे. इससे उपभोक्ताओं के साथ धोखाधड़ी और ब्रांड की प्रतिष्ठा को नुकसान हो रहा था.

Source: <https://www.etvbharat.com/hi/state/duplicate-product-packing-bags-recovered-from-rice-mill-in-maharajganj-fir-lodged-uttar-pradesh-news-ups25100606246>